रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2001.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 22 अगस्त, 2001/31 श्रावण, 1923

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 22 अगस्त, 2001

संख्या 1-53/2001-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2001

1385-राजपत्र/2001-22-8-2001—1,343. मूल्य : 1 रुपया।

(2001 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज दिनांक 22 अगस्त, 2001 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर:स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

2001 का विधेयक संख्यांक 15.

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2001

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 है ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 के प्रवृत्त होने की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,--

(क) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"(क-1) "सामान्य प्रयोजन" से, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत चराई, ईंधन की लकड़ी और चारे के लिए वृक्ष के पत्तों का संग्रहण, स्कूल इमारतें, पंचायत घर, महिला मंडल भवन, स्कूल के खेल के मैदान, सामूहिक हाल, जन्जघर, औषधालय, सरकारी कार्यालय, किसान मण्डियां, राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के अधीन वृक्षारोपण और कोई अन्य लोक सुविधाएं हैं ।" ;

(ख) खण्ड (कक) में, "सात हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा अधिसूचित गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए नियत सीमा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ;
और

(ग) खण्ड (ककक) और (ग) के नीचे परन्तुकों तथा खण्ड (घघ) के उप खण्ड(iii) में शब्दों, "तीन हजार रुपए" के स्थान पर, "राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा अधिसूचित गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए नियत सीमा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में; --

(क) उप धारा (1) में, खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर; निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात्:--

"(ख) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 5) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में राजस्व अभिलेख में शामलात

टर्फ, पट्टी, पाना, थोला, शामलात देह, शामलात चक, शामलात टिका के रूप में वर्णित या ऐसे किसी अन्य विवरण द्वारा और राजस्व अभिलेख के अनुसार ग्राम या उसके किसी भाग के समुदाय के फायदे या ग्राम के सामान्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं की गई है ; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व समाविष्ट क्षेत्रों में, राजस्व अभिलेख में शामलात, शामलात देह, शामलात टर्फ, शामलात चक, पट्टी के रूप में वर्णित या ऐसे किसी अन्य विवरण द्वारा ;"

(ख) उप-धारा (2) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) भूमि "शामलात टिका हस्ब रस्ब माल गुजारी" के रूप में या जमाबन्दी के स्वामित्व स्तम्भ में ऐसे किसी अन्य नाम से अभिलिखित है और भू-राजस्व के लिए निर्धारित है तथा 26 जनवरी, 1950 से पूर्व इस प्रकार अभिलिखित सह-अंशधारियों के खेतिहर कब्जे में, उसमें उनके हिस्से की सीमा तक लगातार अभिलिखित की गई है :

परन्तु इस खण्ड के उपबन्ध ऐसी भूमियों को लागू नहीं होंगे जो पहले से ही सरकार द्वारा प्रयोग की गई हैं ।"।

धारा 4 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में उप-धारा (2) में, "राज्य सरकार की ओर से किये गए हैं" शब्दों के पश्चात्, "और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई दर पर पट्टा धन नियत करेगा । ऐसा पट्टा धन सम्बद्ध पंचायत द्वारा पट्टेदार से वसूल किया जाएगा ।" शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे ।

धारा 5 का प्रतिस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. शामलात भूमि या राज्य सरकार में निहित भूमि पर अधिक्रमण का उपचार.— जहां, राज्य सरकार में निहित भूमि या शामलात भूमि, चाहे राजस्व अभिलेखों में किसी भी निबंधन द्वारा यह अभिलिखित है, जो राज्य सरकार में निहित नहीं है, पर किसी व्यक्ति या सह-अंशधारी द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् अधिक्रमण किया गया हो, तो राजस्व अधिकारी, स्वप्रेरणा से या हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर हल्का कानूनगो द्वारा सम्यक् रूप में अधिप्रमाणित अथवा किसी संपदा अधिकार धारक या सह-अंशधारी के आवेदन पर, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) की धारा 163 के उपबन्धों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को निष्कासित कर सकेगा ।" ।

धारा 8 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (ख) में उप-खण्ड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) समाज के निर्धन वर्गों को घरों की व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीमों के अधीन पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन करने के लिए ।"

धारा 8-अ का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 8-अ में,—

(क) "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात् और "अधिनियम के अधीन इसमें निहित" शब्दों से पूर्व, "या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी" शब्द जोड़े जाएंगे ; और

(ख) "यदि सरकार", शब्दों के पश्चात् और "का समाधान हो जाता है", शब्दों से पूर्व, "या इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" शब्द जोड़े जायेंगे ।

धारा 9-क का अन्तः-स्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"9-क पुनर्विलोकन.— कलक्टर या धारा 9 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे पुनर्विलोकन पर स्वयं द्वारा या कार्यालय में उसके किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को उपांतरित, उलट या पुष्ट कर सकेगा ।

(2) पुनर्विलोकन में किसी आदेश को तब तक उपांतरित या उलटा नहीं जाएगा जब तक उसके द्वारा प्रभावित पक्षकारों को आदेश के समर्थन में हाजिर होने तथा सुनवाई के लिए नोटिस नहीं दिया जाता है ।

(3) आदेश, जिसके विरुद्ध अपील को अधिमान दिया गया है, का पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा ।

(4) आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक इसे आदेश पारित होने के 90 दिन के भीतर न दिया गया हो या जब तक आवेदक, कलक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का समाधान नहीं करता कि उसके पास उस अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था ।"।

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने, राज्य की भूमि-विधियों का व्यापक पुनर्विलोकन करने को एक समिति की नियुक्ति की, जिसने हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपभोग अधिनियम, 1974 का परीक्षण किया। सरकार ने, उच्च अधिकार समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने को, आयुक्त (राजस्व) की अध्यक्षता के अधीन, राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक और समिति नियुक्त की। समिति ने, सिफारिशों पर विचार किया और उनमें से अधिकतर को स्वीकार किया।

धारा 2 में, "सामान्य प्रयोजन" पद परिभाषित नहीं है। धारा 3 (क) के उपबन्ध को अधिक स्पष्ट करने के लिए, "सामान्य प्रयोजन" पद को परिभाषित करने का विनिश्चय किया गया है। धारा 2 के खण्ड (क क) के अधीन "विकलांग व्यक्ति" और धारा 2 के खण्ड (क क क) के परन्तुक में "गृह विहीन व्यक्ति" होने के लिए नियत आय की सीमा का पुनरीक्षण किया गया है। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 में ग्राम पंचायत द्वारा नियत किया जाने वाला पट्टा धन या लगान इत्यादि के बारे में, कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं है, जो पट्टेदार द्वारा संदत्त किया जाए। अब सम्बद्ध पंचायत द्वारा पट्टेदार से प्रभारित किए जाने वाले पट्टा धन का, उपबन्ध किया जा रहा है। उसी प्रकार धारा 5, अधिनियम की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित भूमि पर अधिक्रमण से निपटने हेतु उपबन्ध करती है, लेकिन यह उपबन्ध नहीं करती कि शामलात भूमियां जो राज्य सरकार में निहित नहीं हैं, पर से अधिक्रमण कैसे हटाया जाए। इसलिए अधिनियम की धारा 5 में, अधिक्रमणकर्ता के निष्कासन के स्पष्ट उपबन्ध की व्यवस्था करने हेतु इसमें संशोधन प्रस्तावित किया गया है। वर्तमानतः पूर्वोक्त अधिनियम में, पुनर्विलोकन का कोई उपबन्ध नहीं है, अब अधिनियम में ही पुनर्विलोकन का उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है। शामलात भूमि की निहितता में की गई अनियमितताओं और अवैधताओं को हटाने के लिए प्रस्तावित विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव देने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने आवश्यक हो गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

राजन सुशान्त,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख .. , 2001

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

(1) हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2001

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

राजन सुशान्त,
प्रभारी मन्त्री ।

रामेश्वर शर्मा,
सचिव (विधि)

शिमला :
तारीख....., 2001

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 15 of 2001.

THE HIMACHAL PRADESH VILLAGE COMMON LANDS VESTING AND UTILIZATION (AMENDMENT) BILL, 2001

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (*Act No.* 18 *of* 1974).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization (Amendment) Act, 2001.

(2) The provisions of this Act, shall be deemed to have come into force with effect from the date, the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 came into force.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (hereinafter referred to as "the principal Act"), — 18 of 1974

(*a*) after clause (*a*), the following shall be added, namely:—

"(*a*-1) "common purposes" means and includes grazing, collection of fuel wood and tree leaves for fodder, school buildings, Panchayat Ghars, Mahila Mandal Bhawans, School Playgrounds, Community Halls, Janj Ghars, Dispensaries, Government Offices, Kisan Mandies, tree plantation under various State Government Schemes and any other public facilities.";

(*b*) in clause (*aa*), for the words "rupees seven thousand and five hundred", the words and sign "the limit fixed for persons living below poverty line as notified by the State Government from time to time," shall be substituted; and

(*c*) in provisos below clauses (*aaa*) and (*c*) and in sub-clause (*iii*) of clause (*dd*), for the word, sign and figure "Rs. 3000/-", the words and sign "the limit fixed for persons living below poverty line as notified by the State Government from time to time," shall be substituted.

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), for clauses (*b*) and (*c*), the following shall be substituted, namely:—

"(*b*) described in the revenue records as shamlat taraf, pattis, pannas, thola, shamlat, shamlat deh, shamlat chak, shamlat tika or by any such other description and not used according to revenue records for the benefit of the community in the village or a part

thereof or for common purposes of the village in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organization Act, 1966 ; and

31 of 1966.

(*c*) described in revenue records as shamlat, shamlat deh, shamlat taraf, shamlat chak, patti or by any other such description in the areas compirsed in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966.";

(*b*) in sub-section (2), after clause (*c*), the following shall be added, namely:—

"(*d*) land recorded as "shamlat tika Hasab Rasad Malguzari" or by any such other name in the ownership column of jama-bandi and assessed to land revenue and has been continuously recorded in cultivating possession of the Co-sharers so recorded before 26th January, 1950 to the extent of their shares therein :

Provided that the provisions of this clause shall not be applicable to such lands which have already been put to use by the Government.".

Amendment of section 4.

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2), after the words "State Government", the words "and will fix the lease money at the rate notified by the State Government from time to time. Such lease money shall be recovered by the Panchayat concerned from the lessee," shall be added.

Substitution of section 5.

5. For section 5 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"**5.** *Treatment of encroachments on shamlat land or the lands vested in the State Government.*—Where the land vested in the State Government or the shamlat land by whatever term it is recorded in the revenue records, which has not vested in the State Government, has been encroached upon by any person or co-sharer before or after the commencement of this Act, the Revenue Officer may of his own motion or on the report of the Patwari of the circle duly verified by the Kanungo of the circle or on the application of any estate right holder or co-sharer, eject such person in accordance with the provisions of section 163 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.".

6 of 1954.

Amendment of section 8.

6. In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*b*), after sub-clause (*ii*), the following shall be added, namely:—

"(*iii*) for allotment of land to the eligible persons under the schemes notified by the State Government for providing houses to the poorer sections of the society.".

Amendment of section 8-A.

7. In section 8-A of the principal Act,—

(*a*) after the words "State Government" and before the words "may utilize", the words "or any other Officer authorised by the State Government in this behalf" shall be added; and

(*b*) after the words "State Government" and before the words "is satisfied", the words "or the Officer authorised by it" shall be added.

Insertion of section 9-A.

8. After section 9 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

"**9-A**. *Review*.—(1) The Collector or the Officer authorised by the State Government under section 9 may, either on his own motion or on the application of any party interested, review and on so reviewing, modify, reverse or confirm any order passed by himself or by any of his predecessors in office.

(2) No order shall be modified or reversed in review unless a notice has been given to the parties affected thereby to appear and be heard in support of the order.

(3) An order against which an appeal has been preferred shall not be reviewed.

(4) An application for review of an order shall not be entertained unless it is made within 90 days of the passing of the order, or unless the applicant satisfies the Collector or an Officer authorised by the State Government that he had sufficient cause for not making the application within that period.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government appointed a Committee to make a comprehensive review of the land laws of the State, which examined the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilisation Act, 1974. The Government further appointed a Committee of Officers of the Revenue Department under the Chairmanship of the Commissioner (Revenue) to study the recommendations of the High Powered Committee. The Committee considered the recommendations and accepted most of them.

The expression "common purposes" is not defined in section 2. In order to make the provision of section 3(*a*) more clear, it has been decided to define the expression "common purposes". The limit of income fixed under clause (*aa*) of section 2, for being a "handicapped person" and in proviso to clause (*aaa*) of section 2, for being a "houseless person" is being revised.

In section 4 of the Act *ibid* there is no clear provision about the lease money or rent etc. to be fixed by the Gram Panchayats which the lessee should pay. Now a provision of lease money to be charged by the Panchayat concerned from the lessee is being made. Similarly section 5 provides for dealing with encroachment on lands vested in the State Government under section 3 of the Act, but does not provide for as to how encroachments on Shamlat lands which have not vested in the State Government is to be removed. Hence, amendment has been proposed in section 5 of the Act providing therein clear provision of ejectment of encroacher. At present there is no provision of review in the Act *ibid*, now it has been decided to make provision of review in the Act itself. In order to remove irregularities and illegalities made in vestment of common land, it has been decided to give retrospective effect to the proposed Bill. These have necessitated the amendments in the Act *ibid*.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

RAJAN SUSHANT,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
Dated..... , 2001.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH VILLAGE COMMON LANDS VESTING AND UTILIZATION (AMENDMENT) BILL, 2001

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (*Act No.* 18 *of* 1974).

RAJAN SUSHANT,
Minister-in-Charge.

RAMESHWAR SHARMA,
Secretary (*Law*).

SHIMLA :
The.....,2001.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित